न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 197 सन 2019

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महावीर प्रसाद पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पवन कुमार पुत्र स्व धर्मपाल नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नि स्व धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पुजा पुत्री स्व धर्मपाल नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नि स्व धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कमला पत्नी धर्मपाल नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नि स्व धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र धोकलराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रेशमा पुत्री कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष पुत्री कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुरली पुत्री कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रेणु कुमारी पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/8/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की सही मौजा रातुसर के खाता सख्या 20/18 के खसरा न0 30/5.4140हैक , खसरा न0 45/0.5690हैक ,149/1 की 9.6140 , खसरा न0 178/3.8960हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के दादा कुरडाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

पूर्व में उक्त भूमि वादीगण के पडदादा धोकलराम पुत्र पुर्णा के नाम से दर्ज थी जिनका व उसकी पत्नि देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके दो पुत्र कुरडाराम व भादरराम हुए कुरडाराम पुत्र धोकलराम के जायज वारिसान तीन पुत्र व चार पुत्रीया है जिसमे से एक पुत्र धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण 3 ता 5 अर्थात कुरडाराम के जायज वारिसान वादीगण सख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 धर्मपाल के वारिस वादीगण सख्या 3 ता 5 है।

वाद भूमि पूर्व मे वादीगण के पडदादा/दादा धोकलराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादीगण के पिता/दादा/पडदादा के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि वादीगण के पिता/दादा/पडदादा के नाम से दर्ज हुई विरासतन से वाद भूमि कुरडाराम के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमे वादीगण एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी 1 ,2 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता धोकलराम पुत्र पूर्णा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,जो वादीगण की बहन/बुआ एव प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/भतिजो/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 20/18 के खसरा न0 30/5.4140हैक्ट , खसरा न0 45/0.5690हैक्ट , 149/1 की 9.6140 , खसरा न0 178/3.8960 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा कुरडाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

पूर्व में उक्त भूमि वादीगण के पडदादा धोकलराम पुत्र पुर्णा के नाम से दर्ज थी जिनका व उसकी पत्नि देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके दो पुत्र कुरडाराम व भादरराम हुए कुरडाराम पुत्र धोकलराम के जायज वारिसान तीन पुत्र व चार पुत्रीया है जिसमें से एक पुत्र धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण 3 ता 5 अर्थात कुरडाराम के जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 धर्मपाल के वारिस वादीगण संख्या 3 ता 5 है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पडदादा/दादा धोकलराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादीगण के पिता/दादा/पडदादा के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता/दादा/पडदादा के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से वाद भूमि कुरडाराम के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी 1 ,2 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 20/18 के खरारा न0 30/5.4140हैक , खसरा न0 45/0.5690हैक , 149/1 की 9.6140 , खसरा न0 178/3.8960 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा कुरडाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

पूर्व में वाद भूमि वादीगण के पडदादा धोकलराम पुत्र पुर्णा के नाम से दर्ज थी जिनका व उसकी पत्नि देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके दो पुत्र कुरडाराम व भादरराम हुए कुरडाराम पुत्र धोकलराम के जायज वारिसान तीन पुत्र व चार पुत्रीया है जिसमें से एक पुत्र धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण 3 ता 5 अर्थात कुरडाराम के जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 धर्मपाल के वारिस वादीगण संख्या 3 ता 5 है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पडदादा/दादा धोकलराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादीगण के पिता/दादा/पडदादा के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि वादीगण के पिता/दादा/पडदादा के नाम से दर्ज हुई विरासतन से वाद भूमि कुरडाराम के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने/बुआ/प्रतिवादीसंख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चका है ।

इसप्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 20/18 के खसरा न0 30/5.4140हैक , खसरा न0 45/0.5690हैक 149/1 की 9.6140 , खसरा न0 178/3.8960जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या – 1 अकेला 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा वादीगण संख्या 3 ता 5 तीनों वहिव 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर ए एस)

अनवान :-

1. मोहरसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महावीर प्रसाद पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पवन कुमार पुत्र स्व धर्मपाल नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नि स्व धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पुजा पुत्री स्व धर्मपाल नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नि स्व धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कमला पत्नी धर्मपाल नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नि स्व धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र धोकलराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रेशमा पुत्री कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष पुत्री कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुरली पुत्री कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रेणु कुमारी पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 197 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति मे अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 20/18 के खसरा न0 30/5.4140हैव , खसरा न0 45/0.5690हैव 149/1 की 9 6140 , खसरा न0 178/3.8960जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है मे वादी संख्या - 1 अकेला 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा वादीगण संख्या 3 ता 5 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner